R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 11
मई 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

निजी बैंकों पर रिजर्व बैंक

यूनिवर्सल बैंकों को 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश का मसौदा जारी

रिजर्व बैंक ने 5 मई 2016 को अपनी वेबसाइट पर" निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों को 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए मसौदा दिशानिर्देश" का विमोचन किया। दिशा निर्देशों के मसौदे पर सुझाव और टिप्पणी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन, केंद्रीय कार्यालय, 13 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 को 30 जून 2016 तक भेजे जा सकते हैं। सुझाव/टिप्पणी nbddbr@rbi.org.in पर ईमेल भी किए जा सकते हैं।

यूनिवर्सल बैंकों को पहले फरवरी 22, 2013 को जारी वर्तमान दिशा निर्देशों में सम्मिलित किया गया था कि (i) बैंकिंग और वित्त में 10 साल का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति और पेशेवर सार्वभौमिक बैंकों को बढ़ावा देने के लिए पात्र हैं; (ii) बड़े औद्योगिक / व्यावसायिक घरानों को पात्र संस्थाओं के रूप में बाहर रखा गया है, लेकिन बैंकों में 10 फीसदी तक की सीमा तक निवेश करने के लिए उन्हें अनुमति है; (iii) नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) को अब गैर-अधिदेशी कर दिया गया है जहां प्रमोटर व्यक्ति या स्टैंडअलोन संस्था को प्रमोट/ परिवर्तित कर रहा हो जिसके/जिनके पास अन्य समूह संस्थाएं न हों; (iv) एनओएफएचसी को अब पूरी तरह से प्रवर्तक समूह के स्वामित्व में किए जाने के स्थान पर उसकी कुल चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 51 फीसदी तक की हद तक प्रमोटर / प्रवर्तक समूह के स्वामित्व में किया जाना आवश्यक है और (v) एनओएफएचसी के अंतर्गत प्रस्तावित एक अलग इकाई से मौजूदा विशेषीकृत गतिविधियों को रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से जारी रखा जा सकता है बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि इसी तरह की गतिविधियां बैंक के माध्यम से आयोजित नहीं की जा रही हैं।

स्वामित्व / शेयर धारिता पर दिशानिर्देशों में बदलाव

"मास्टर दिशानिर्देश-निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व पर दिशानि र्देश 2016" निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद जारी किए गए जो निजी क्षेत्र के बैंकों में एक ही संस्था/निगम इकाई/संबंधित संस्थाओं के समूह द्वारा विविध शेयरधारिता की परिकल्पना करते हैं। फरवरी 2013 में निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों, बाज़ल III के पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत और और स्वामित्व सीमा को युक्तिसंगत बनाने की पृष्ठभूमि में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई ।

लंबे समय के लिए सभी शेयरधारकों के लिए स्वामित्व सीमाएं अब दो व्यापक श्रेणियों (i) प्राकृतिक व्यक्तियों (व्यक्तिगत) और (ii) कानूनी व्यक्तियों (संस्था/ संस्थान) के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं । इसके अलावा, (i) गैर-वित्तीय और (ii) वित्तीय संस्थानों के लिए और वित्तीय संस्थानों में , विविध और गैर विविध वित्तीय संस्थानों के लिए अलग सीमा निर्धारित की गई हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी सीमा निम्नलिखित शेयरधारिता मैट्रिक्स में निर्धारित की गई हैं:

शेयरधारिता सीमा के मैट्रिक्स

शेयरधारकों की श्रेणी	प्रवर्तक समूह	लंबे समय के सभी शेयरधारक				
शेयरधारकों की उप-श्रेणी	प्रमोटर / प्रवर्तक समूह की सभी श्रेणियां	प्राकृतिक व्यक्ति #	कानूनी व्यक्ति			
		गैर वित्तीय संस्थान / संस्था #	वित्तीय संस्थान			
			गैर विनियमित या गैर विशाखीकृत और गैर-सूचीबद्ध *		विनियमित, सुविशाखीकृत और सूचीबद्ध / सुप्रानैशनल संस्था /सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	विशेष परिस्थितियों में $
प्रस्तावित शेयरधारिता की सीमा	संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट रूप में@	10%	10%	15%	40%	मामले दर मामले के आधार पर यथा अनुमोदित

@ सभी मौजूदा बैंकों के लिए प्रमोटर / प्रवर्तक समूह शेयरधारिता सार्वभौमिक बैंकों के लाइसेंस पर 22 फरवरी 2013 के दिशा-निर्देशों में दी गई अनुमति के अनुसार अर्थात 15 फीसदी होगी ।
# लाइसेंस दिशानिर्देशों के अनुसार किसी मामले में कोई प्रमोटर / प्रवर्तक समूह उच्च शेयरधारिता के लिए पात्र है, तो वह सीमा लागू होगी और लंबे समय में सभी शेयरधारकों के लिए मैट्रिक्स में निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी।
* वित्तीय संस्थाएं जिनका 50 प्रतिशत तक का स्वामित्व या उससे अधिक नियंत्रण व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं, उस शेयरधारिता को प्राकृतिक व्यक्ति समझा जाएगा और शेयरधारिता की सीमा 10 प्रतिशत होगी ।
$ शेयरधारकों को न्यूनतम पांच वर्ष की होल्डिंग अवधि के अधीन एक बैंक में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुमति दी जाएगी।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• निजी बैंकों पर रिजर्व बैंक	1
• आरबीआई ने सीआईसी में निवेश के लिए नियम संरेखित किए	2
• बैंकों को लेखापरीक्षा सिफारिशों का अनुपालन करना होगा	2
सहकारी बैंकिंग	
• धोखाधडियों की निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन	2
• स्वयंसहायता समूह के सदस्यों पर क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग	2
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में बीओ/एलओ/पीओ की स्थापना	3
• फेमा विनियमन	3
• माल के आयात के लिए डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली	4
• रुपया आहरण व्यवस्था के लिए विनिमय गृहों द्वारा संपार्श्विक बंद	4
वित्तीय समावेशन और विकास	
• 1 अप्रैल से एसएसीपी विवरण नहीं	4
वित्तीय बाजार विनियमन	
• ब्रॉड बेस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म से डेरिवेटिव ट्रेडिंग	4
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• कार्ड लेनदेन के लिए मर्चेंट अधिग्रहण	4
• एटीएम सितम्बर 2017 से चिप और पिन स्वीकार करने के लिए सक्षम होगे	4
• प्राधिकार प्रमाणपत्र की स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए दिशानिर्देश	4
• **मई में जारी किए गए मास्टर दिशा-निर्देश**	**4**

मतदान के अधिकार 15 फीसदी के मौजूदा स्तर तक या समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित सीमा तक सीमित होंगे ।

दिशानिर्देशों की अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- शेयरधारिता/बैंक की चुकता पूंजी का या बैंक के कुल मतदान के अधिकार के 5 प्रतिशत या अधिक मतदान के अधिकार का कोई भी अधिग्रहण रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन बना रहेगा।
- एक निजी बैंक में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड लागू होना जारी रहेगा।
- विदेशी संस्थाओं द्वारा एक निजी क्षेत्र के बैंक में शेयरधारिता का अधिग्रहण मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अधीन रहेगा। वर्तमान में भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति (अप्रैल 2015) के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों में, सभी स्रोतों (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से कुल विदेशी निवेश बैंक की चुकता पूंजी के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता। हर समय में, निजी क्षेत्र के बैंकों की चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत निवासी भारतीयों द्वारा अधिग्रहित होगा।
- बैंक (भारत में शाखा होने वाली विदेशी बैंकों सहित) निवेश बैंक की इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत तक बैंक के इक्विटी शेयरों में हिस्सेदारी जारी रख सकते हैं। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों के मामले जैसे कि पुनर्गठन की समस्या / कमजोर बैंक, या बैंकिंग क्षेत्र के हित में समेकन आदि में रिजर्व बैंक उन्हें एक उच्च स्तर की शेयरधारिता के लिए अनुमति दे सकता है।
- बैंक जहां कोई बड़ी विनियामक / पर्यवेक्षी चिंताएं नहीं दिखती हों, एक व्यक्ति को उच्च शेयरधारिता हासिल करने के लिए, अनुमति दी जा सकती है अगर संबंधित बैंक के निदेशक मंडल का समर्थन उसे प्राप्त हो। ऐसे बैंकों में, शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की अनुमति नहीं होगी।
- बैंकों में जहां विनियामक / पर्यवेक्षी चिंताएं हों और जहां रिजर्व बैंक के विचार में बैंक के जमाकर्ताओं के हित में/ सार्वजनिक हित में, बैंक के स्वामित्व /प्रबंधन में परिवर्तन आवश्यक हों,वहां रिजर्व बैंक अपने विवेक से, उच्च शेयरधारिता हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को अनुमति दे सकता है, भले ही उसे मौजूदा बोर्ड का समर्थन प्राप्त न हो। ऐसा व्यक्ति मौजूदा शेयरधारक हो अथवा न हो।
- मौजूदा निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में

  क) जहां रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तियों / संस्थाओं / समूहों की शेयरधारिता के विलयन से संबंधित विशेष आदेश पारित किए गए हों, वे आदेश इस तरह की शेयरधारिता के लिए लागू बने रहेंगे।

  ख) जहां रिजर्व बैंक द्वारा 10 फीसदी से अधिक की शेयरधारिता के लिए प्रमोटरों/ संस्थाओं/ समूहों के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्रदान किया गया है, वहां निर्धारित अवधि तक बैंकों में इस तरह की शेयरधारिता को जारी रखा जा सकता है।

  ग) जहां किसी भी प्रमोटर / प्रवर्तक समूह के पास 15 फीसदी से अधिक शेयरधारिता पहले से ही है और इसे 10 प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समयसीमा निर्धारित की गई है, वहां 15 प्रतिशत की शेयरधारिता का समयसीमा के अंतर्गत कम किया जाना जारी रहेगा।

आरबीआई ने सीआईसी में निवेश के लिए नियम संरेखित किए

रिजर्व बैंक ने 19 मई 2016 को अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) में ऐसी संस्थाएं,जो अच्छी तरह विनियमित वातावरण में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चलाने का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड रखती है के लिए उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति की सीमा को निम्ननुसार बढ़ाया :

- अगर निवेशक कंपनी का स्वामित्व विशाखीकृत नहीं है तो 49 प्रतिशत तक ;
- अगर निवेशक कंपनी का स्वामित्व अच्छी तरह से विशाखीकृत है तो या नहीं है तो निवेशी सीआईसी के निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित शर्तों के अधीन 100 प्रतिशत तक। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इक्विटी में 10 प्रतिशत से कम निवेश धारण कर सकते है।

वर्तमान में, ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) की इक्विटी पूंजी में किसी भी व्यक्ति, चाहे निवासी या अन्यथा द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से निवेश 10 प्रतिशत की सीमा तक सीमित हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक के निदेशों में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत एफडीआई में 74 प्रतिशत तक के निवेश के लिए अनुमति दी गई। रिजर्व बैंक ने स्वचालित मार्ग के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन 15 फरवरी, 2016 को सीआईसी में विदेशी निवेश की सीमा को संशोधित करते हुए 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10410&Mode=0)

बैंकों को लेखापरीक्षा सिफारिशों का अनुपालन करना होगा

रिजर्व बैंक ने 28 अप्रैल 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) - समीक्षा कैलेंडर के बारे में अधिसूचित किया जिसके अनुसार जिलानी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि :

- इन सिफारिशों का अनुपालन पूर्ण और निरंतर रूप से करते रहे,
- इन सिफारिशों का बैंकों के आंतरिक निरीक्षण / लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में उचित रूप से फॅक्टरिंग किया जाए और उनके मैनुअल / निर्देश, आदि में उनका विधिवत दस्तावेजीकरण किया जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10370&Mode=0)

सहकारी बैंकिंग

धोखाधडियों की निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन

रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2016 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (सीएफएमसी) के धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन किया। अब:

- ₹1.00 लाख से कम की धोखाधडियों की रिपोर्टिंग व्यक्तिगत रूप से रिजर्व बैंक के पास नहीं की जाएगी। हालांकि, ऐसी धोखाधडियों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े निर्धारित तिमाही विवरण में पहले की तरह रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते रहेंगे ।
- ₹1.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ से कम की व्यक्तिगत धोखाधडियों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता हो के पास एफएमआर -1 प्रारूप में धोखाधड़ी का पता लगाने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए।
- ₹1.00 करोड़ और उससे अधिक की व्यक्तिगत धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का पता लगने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (सीएफएमसी), बैंकिंग पर्यवेक्षण (डीबीएस), रिजर्व बैंक, बेंगलुरू को एफएमआर -1 प्रारूप में, सूचित की जानी चाहिए और उसकी एक प्रति सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस), भारतीय रिजर्व बैंक जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता हो के पास प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, ₹1.00 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले में, एक फ्लैश रिपोर्ट धोखाधड़ी के बैंक के प्रधान कार्यालय के ध्यान में आने से एक सप्ताह के भीतर अ.शा. पत्र के रूप में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण (डीबीएस), केंद्रीय कार्यालय, रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए तथा उसकी एक प्रति सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस), भारतीय रिजर्व बैंक जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता हो के पास प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- इसके आगे, यह इस बात को दोहराया जाता है कि एफएमआर -1 की सॉफ्ट प्रति ई-मेल के माध्यम से ऊपरोक्त रिपोर्टिंग तंत्र के अनुसार प्रस्तुत की जाए। हालांकि, शहरी सहकारी बैंकों को इस आशय का मासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि ₹1.00 लाख और उससे अधिक की सभी धोखाधडियों की सूचना सॉफ्ट कॉपी में एक महीने में रिजर्व बैंक को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। प्रमाण पत्र सीएफएमसी, बेंगलुरू को और उसकी प्रतिलिपि डीसीबीएस के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता हो के पास महीने के अंत से सात दिनों के भीतर भेजी जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10408&Mode=0)

स्वयंसहायता समूह के सदस्यों पर क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग

रिजर्व बैंक ने 26 मई 2016 को जारी अपने परिपत्र में शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया है

कि वे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों क लिए क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से संबंधित रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में दो चरणीय दृष्टिकोण अपनाएं। क्रेडिट सूचना संग्रह और रिपोर्टिंग की संरचना निम्नानुसार होगी:

- बैंक सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से सूचना एकत्र करेंगे और निर्धारित प्रपत्र के अनुसार इसे सीआईसी को रिपोर्ट करेंगे।
- बैंक आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं शुरू करेंगे जिनमें उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करना शामिल होगा जिससे कि वे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से संगत सूचना का संग्रह शुरू कर सकें और 1 जुलाई 2016 (पहला चरण) और 1 जुलाई 2017 (दूसरा चरण) से सीआईसी को अपेक्षित सूचना की रिपोर्टिंग कर सकें।
- बैंकों के पास विकल्प है कि वे स्वयं एसएचजी सदस्य स्तरीय आंकड़ों का संग्रह कर उनकी रिपोर्टिंग करें या इन्हें अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स कराएं। बैंक उचित नियंत्रण शुरू करेंगे जिससे कि आउटसोर्स की गई संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित हो सके।
- बैंक चालू आधार पर एसएचजी खंड में एनपीए स्तरों की तुरंत निगरानी शुरू करेंगे, यदि पहले से ऐसा नहीं किया जा रहा और एसएचजी सदस्यों से विस्तृत सूचना एकत्र करेंगे।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा इन उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप ऋण पोर्टफोलियो से गैर-अनुपालित एसएचजी ऋण खातों के बाहर कर दिया जाएगा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने के पात्र हैं।

रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र में सीआईसीज को कतिपय परिचालनात्मक अनुदेश और विशिष्ट अनुदेश भी जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2016 को शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया था कि वे स्वयं सहायता समूहों से संबंधित सदस्य स्तरीय आंकड़ों को इस परिपत्र की तारीख के छह माह के अंदर रिपोर्ट करें। रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि बैंकों ने इस संबंध में अधिक प्रगति नहीं की। बैंकों ने भी इन निदेशों के कार्यान्वयन की कई चुनौतियों के बारे में बताया और इनके दायरे पर अधिक स्पष्टता का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई, नाबार्ड, बैंकों और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के सदस्यों के एक कार्यदल का गठन किया जो कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करेगा और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएगा। वित्तीय समावेशन, बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के क्रेडिट निर्णय तथा एसएचजी ऋण पोर्टफोलियो की क्रेडिट गुणवत्ता के लिए एसएचजी सदस्यों की क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के महत्व के बारे में बताते हुए कार्यदल ने शीघ्र ही एसएचजी सदस्यों के लिए क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग शुरू करने की आवश्यकता पर जोर डाला। फिर भी, समूह ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के कार्यान्वयन की चरणबद्ध दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि आंकड़ों की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया गया है। यह परिपत्र पहले दो चरणों में कार्यान्वयन अपेक्षाएं निर्धारित करता है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10417&Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में बीओ/एलओ/पीओ की स्थापना

रिज़र्व बैंक ने भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए शाखा कार्यालय (बीओ) या संपर्क कार्यालय (एलओ) या परियोजना कार्यालय (पीओ) खोलने के लिए 12 मई 2016 को प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा ऐसे आवेदन महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को अग्रेषित किए जाएं। रिज़र्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से आवेदन प्रोसेस करेगा।

पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण

बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांग कांग, मकाऊ या पाकिस्तान के आवेदक जो भारत में बीओ/एलओ/पीओ खोलने के इच्छुक हैं, को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। इन देशों के व्यक्तियों के लिए अनुमोदन पत्र की प्रति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक द्वारा गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई और रिकार्ड के लिए मार्क की जाएगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10398&Mode=0)

फेमा विनियमन

आस्तियों के विप्रेषण पर संशोधित विनियम

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 28 अप्रैल 2016 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तिओं का विप्रेषण) विनियमन, 2016 जारी किया। आस्तियों का विप्रेषण विनियमन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

क) भारत में रहने वाले या भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा धारित पूंजीगत आस्तियों के विप्रेषण के लिए इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधानों को छोड़कर रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

ख) प्राधिकृत व्यापारी चुनिंदा मामलों में विदेशी व्यक्ति (पीआईओ या नेपाल या भूटान के नागरिक को छोड़कर) प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की आस्तियों के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। यदि विप्रेषण एक से अधिक किश्तों में किया जाता है तो सभी किश्तों का विप्रेषण एक ही प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ग) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी छात्र द्वारा भारत में अपना अध्ययन/प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद भारत में बैंक खाते में धारित शेषराशि के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

घ) प्राधिकृत व्यापारी एनआरआई और पीआईओ द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कराने पर उन्हें प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमेरिकी डॉलर तक विप्रेषित करने की अनुमति दे सकते हैं।

ङ) प्राधिकृत व्यापारी भारत में किसी कोर्ट द्वारा जारी किए गए निदेशों पर परिसमापनाधीन भारतीय कंपनियों द्वारा विप्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं।

च) प्राधिकृत बैंक भारतीय संस्थाओं को यह भी अनुमति दे सकते हैं कि वे भारत में रहने वाले किंतु ''स्थायी रूप में भारत में नहीं रहने वाले'' उनके प्रवासी स्टाफ की भविष्य निधि/अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए उनके अंशदान को विप्रेषित करें।

छ) प्राधिकृत व्यापारी समय-समय पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय (परियोजना कार्यालय को छोड़कर) के बंद होने पर आस्तियों के विप्रेषण या इनके मुनाफे के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

ज) कठिनाई आधार पर आस्तियों के विप्रेषण तथा एनआरआई और पीआईओ द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

झ) इन विनियमों के अंतर्गत आस्तियों के विप्रेषण वाले लेनदेन भारत में लागू कर कानूनों के अधीन होगा।

नए विनियम 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10371&Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत जारी विनियमों को वापस लेने के लिए 5 मई 2016 निर्णय लिया। इन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 द्वारा अधिक्रमित किया जाएगा जिन्हें अब जमा विनियम के रूप में जाना जाएगा। इन विनियमों में भारत में रहने वाले व्यक्ति और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के बीच जमाराशियों को विनियमित करने का प्रयास किया गया है। इन विनियमों के अंतर्गत कतिपय व्यक्तियों द्वारा रुपया/विदेशी मुद्रा जमा खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10382&Mode=0

माल और सेवाओं का निर्यात

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं/निदेशों को वापस लेने के लिए 12 मई 2016 को निर्णय लिया और इन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 द्वारा अधिक्रमित किया गया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10393&Mode=0)

विदेशी मुद्रा (कम्पाउन्डिंग प्रक्रिया) नियम

अधिक पारदर्शिता और ज्यादा प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2016 को सभी प्राधिकृत व्यापारियों को निम्नानुसार सूचित किया :

i) कम्पाउन्डिंग आदेशों का सार्वजनिक प्रकटन

कम्पाउन्डिंग आदेशों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1जून 2016 को या इसके बाद पास होने वाले कंपाउंडिंग आदेशों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर डाला जाए। वेबसाइट पर आंकड़े निर्धारित प्रपत्र के अनुसार मासिक अंतराल पर अद्यतन किए जाएंगे। तदनुसार, कम्पाउन्डिंग पर मास्टर निदेश में एक नया उप-पैरा जोड़ा जा रहा है।

ii) वेबसाइट पर कम्पाउन्डिंग दिशानिर्देश

फेमा की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार लागू राशि की मात्रा उल्लंघन में शामिल राशि की तीन गुणा तक हो सकती है। तथापि, लागू राशि को मार्गदर्शी नोट के आधार पर परिकलित किया जाता है। रिज़र्व बैंक अब आम जनता की जानकारी के लिए मार्गदर्शी नोट अपनी वेबसाइट पर डालेगा। तथापि, यह नोट किया जाए कि मार्गदर्शी नोट व्यापक रूप से उस आधार को दर्शाने के प्रयोजन के लिए ही है जिसपर लागू की जाने वाली राशि रिज़र्व बैंक में कम्पाउन्डिंग प्राधिकारियों द्वारा निकाली जाती है। लागू की गई वास्तविक राशि कई बार मामले की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। यह नया प्रावधान कम्पाउन्डिंग पर मास्टर निदेश में उप-पैरा 7.4 के रूप में डाला जा रहा है और तत्पश्चात उप-पैराग्राफ को तदनुसार पुनः संख्या दी गई। https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10393&Mode=0

माल के आयात के लिए डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2016 को सभी श्रेणी - I, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को माल के आयात पर विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के बारे में सूचित किया जो प्रक्रिया, आयात के भुगतान की पद्धति/तरीके और संबंधित विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। आईडीपीएमएस के परिचालन की तारीख शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी। अधिसूचित तारीख पर सभी आयात विप्रेषणों का बकाया आईडीपीएमएस पर अपलोड करना होगा।

रिज़र्व बैंक ने एक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री ए.के. पांडेय, मुख्य महाप्रबंधक, एफईडी) का गठन किया था जिसमें सीमाशुल्क, विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) के प्रतिनिधि और चयनित प्राधिकृत व्यापारी बैंक शामिल थे। इसका उद्देश्य सभी आयात लेनदेनों की सक्षम प्रोसेसिंग और उनकी प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक आईटी आधारित प्रणाली शुरू करने का सुझाव देना था। इस कार्यसमूह ने सीमाशुल्क के प्राधिकारियों और अन्य स्टेकधारकों के परामर्श से ''निर्यात डेटा प्रोसेसिंग तथा निगरानी प्रणाली'' के अनुरूप एक मजबूत और प्रभावी आईटी आधारित प्रणाली ''आयात डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली'' विकसित करने की सिफारिश की थी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10372&Mode=0)

रुपया आहरण व्यवस्था के लिए विनिमय गृहों द्वारा संपार्श्विक बंद

अनिवासी मुद्रा विनिमय गृहों के रुपया/विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खाते खोलने और उन्हें बनाए रखने पर स्पीड विप्रेषण प्रक्रिया के तहत विप्रेषण व्यवस्था को अधिक सरलीकृत करने और विप्रेषणों को लागत प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2016 को उन मुद्रा विनियम गृहों द्वारा संपार्श्विक या नकदी जमाराशियों के अनुरक्षण के अधिदेशित आवश्यकता को बंद कर दिया है जिनके साथ बैंकों ने स्पया आहरण व्यवस्था की है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक कुछ कारकों जैसे क्या विप्रेषण का निधियन पहले से किया गया है, मुद्रा विनिमय गृह की ट्रैक रिकार्ड, विप्रेषण सकल (तत्काल) या निवल (फाइल अंतरण) आधार पर प्रभावी हैं, आदि पर आधारित संपार्श्विक आवश्यकता यदि कोई हो का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है और इस संबंध में अपनी स्वयं की नीति निर्धारित कर सकते हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10373&Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास

1 अप्रैल से एसएसीपी विवरण नहीं

रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2016 से छमाही विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) की प्रस्तुति को बंद कर दिया है, जिसे बैंकों को रिज़र्व बैंक को (वित्तीय समावेशन और विकास विभाग) को भेजना आवश्यक था, जिसमें उन्हें प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत तक के लिए दिए गए ऋण के प्रवाह की प्रगति को दर्शाना था। हालांकि, मार्च 2016 को समाप्त छमाही के लिए ऋण संवितरण विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जा सकता है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10383&Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

ब्रॉड बेस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म से डेरिवेटिव ट्रेडिंग

अधिक ब्रॉड बेस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में भागीदारी करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2016 से किसी भी संस्थागत ईकाई जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा विनियमित है, को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म जहां सीसीआईएल एक केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में है, आईआरएस लेनदेन के लिए एक अनुमोदित प्रतिपक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। विनियमित संस्थागत संस्थाएं, आईआरएस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म में,जिनके समाधान के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में सीसीआईएल है, की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10384&Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

कार्ड लेनदेन के लिए मर्चेंट अधिग्रहण

रिज़र्व बैंक ने 26 मई , 2016 को बैंकों को सूचित किया कि वे सभी भौगोलिक स्थानों में व्यापारियों की एक व्यापक क्षेत्र के लिए कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में और मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार में बैंकों द्वारा व्यापारी अधिग्रहण पर प्राप्त अनुभव पर अपने स्वयं के बोर्ड की नीति को मंजूरी दे। यह भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और भविष्य की प्रणाली को मजबूत बनाने और निगरानी प्रक्रिया के संबंध में बैंकों द्वारा किए गए उपायों का एक हिस्सा है। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10418&Mode=0)

एटीएम सितम्बर 2017 से चिप और पिन स्वीकार करेंगे

रिज़र्व बैंक ने 26 मई, 2016 से भारत के बैंकों को और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके द्वारा संचालित / स्थापित सभी मौजूदा एटीएम 30 सितंबर, 2017 तक ईएमवी चिप और पिन कार्ड के प्रसंस्करण के लिए सक्षम हों। सभी नए एटीएम जरूरी ईएमवी चिप और पिन स्थापना के समय से प्रसंस्करण के लिए सक्षम हो, स्विचिंग के उद्देश्य से बैंक उनके बोर्ड के अनुमोदन से किसी भी अधिकृत एटीएम / कार्ड नेटवर्क प्रदाता में शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, कार्ड से भुगतान इकोसिस्टम तंत्र में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैंक जो उनके माइक्रो एटीएम में जो कार्ड आधारित भुगतान को संभालने के लिए सक्षम हैं, में ऊपर की आवश्यकताओं को लागू करेगा ।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट जून तिमाही / सितम्बर / दिसम्बर / मार्च को समाप्त तिमाही के अंत मे अगले महीने की 15 तारीख तक निर्धारित प्रारूप के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई रिजर्व बैंक को भेजी जानी चाहिए। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10421&Mode=0)

प्राधिकार प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2016 को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत अधिकृत सभी संस्थाओं को प्राधिकार प्रमाणपत्र के [सीओए] स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ), अर्थात् प्री-पेड भुगतान (पीपीआई) जारीकर्ता और मनी सेवा योजना (एमटीएसएस) - ओवरसिज प्रिंसिपल से समर्पण और स्वैच्छिक आधार पर सीओए को रद्द करने के लिए अनुरोध प्राप्त किया है।

सीओए की स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए यह दिशानिर्देशों भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों, अर्थात् पीपीआई जारीकर्ता, एमटीएसएस- ओवरसीज प्रिंसिपल, पीएसएस अधिनियम 2007 को लागू हैं । सीओए के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण का यह विकल्प केवल उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने भुगतान प्रणाली के संचालन को नहीं शुरूकिया है या जो इस तरह के आपरेशनों को बंद करने का इरादा रखते हैं।

पंजीकरण प्रमाण पत्र के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए पीएसओ द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को परिपत्र में बताया गया है। https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10396&Mode=0

मई में जारी किए गए मास्टर दिशा-निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2016 मे निम्नलिखित मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए हैं :

i) बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाएं (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10425&Mode=0)

ii) सहकारी बैंक - जमा और अग्रिमों पर ब्याज दर (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10394)

iii) निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व, दिशा-निर्देश 2016 (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10397&Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**